

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

## आदेश

संचिका संख्या-2 (गो०) सी०-2-29/2017

पटना, दिनांक

2017

श्री राजेश कुमार शर्मा, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद के विरुद्ध सरकारी राशि मो० 28,73,725/- (अठाइस लाख तीहतर हजार सात सौ पच्चीस मात्र) रु० का गबन करने का आरोप जिला प्रबंधक, रा०खा०नि०, औरंगाबाद से प्रतिवेदित किया गया है। प्रतिवेदित आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि श्री शर्मा का उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 (3) के प्रतिकूल है।

उपरोक्त आरोपों की समीक्षोपरांत श्री शर्मा को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 के प्रावधान के तहत श्री राजेश कुमार शर्मा, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), गया निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक (शष्य), मगध प्रमंडल, गया/जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- श्री राजेश कुमार शर्मा, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक

823

/क०, पटना, दिनांक

25/07/

2017

प्रतिलिपि- कृषि निदेशक के आप्त सचिव/निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी संबंधित को ई०मेल० हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना